an>

Title: Need to safeguard the interest of the people living within the area of wildlife sancturies.

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के वन अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र के अंदर लोग पचास-पचास वर्षों से निवास कर रहे हैं। 50 वर्षों से निवास करने के बाद भी वन अभ्यारण्य कानून के कारण वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए, लेकिन 50 वर्षों से ज्यादा समय से वहां बैठा हुआ व्यक्ति आज भी पीने का पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि एक कानून बनाया जाए, जिसके तहत वन अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को या तो वहां से शिफ्ट किया जाए या कानून बनाकर उन्हें कम से कम पीने का पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी बदहाल हो गई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी यही हाल है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर जल्दी कानून बनाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसमें सहयोगी बन सकते हैं।

Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Hariom Singh Rathore, Shri Chand Nath, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria and Shri Chandra Prakash Joshi are permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.